

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2012/98912
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक

14 FEB 2017

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों के कार्य मूल्यांकन करने के संबंध में।
प्रसंग :- विभाग के आदेश दिनांक 04.09.2008, 01.10.2008 एवं 23.09.2011(संलग्न)
महोदय/महोदया,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देश दिये गये थे, कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के कार्य का मूल्यांकन कर उनके संविदा अनुबंध को बढ़ाये जाना है। कार्मिकों के प्रतिमाह उनके कार्य की समीक्षा करने एवं समीक्षा के दौरान कार्मिकों में सुधार नहीं होने की स्थिति में लिखित नोटिस देने तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने पर संविदा अनुबंध नहीं बढ़ाये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 31.01.2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि जिलों में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, लेखा सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का सही प्रकार से आंकलन नहीं किया जा रहा है, जिससे की योजना का कार्य कुछ जिलों में सुचारू रूप से सम्पादित नहीं हो रहा है।

अतः संविदा पर कार्यरत कार्मिक जिनकी कार्यकुशलता एवं कार्य परिणाम संतोषप्रद नहीं है, उन कार्मिकों को संविदा सेवा से पृथक किया जावे ताकि योजना का कार्य सुचारू रूप से हो सके। विभाग के उक्त निर्देशों के अनुसार उनके कार्य का मूल्यांकन उचित रूप से करके ही नियमानुसार संविदा अनुबंध बढ़ाने की कार्यवाही की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. निजी सचिव, परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त।
7. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी समस्त राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

